


# न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
१३-९-२०१२	<p>पाचुराम बनाम ग्राम पंचायत शिवासिंहपुरा                      17/119 अपील नामांतरण</p> <p>पंचायती पंच है। अपील नामांतरण सं० 113 दिनांक 17/3/1978 के अधीन के नाम इस प्रकार से हैं कि आराजी मसरा नम्बर 151 रकबा 0-0500 है 200 न० 153 रकबा 07600 है 200 न० 154 रकबा 0-0100 है 200 न० 155 रकबा 0-0500 है 200 न० 156 रकबा 12-9800 है 200 न० 157 रकबा 13-2500 है नये पंचायत शिवासिंहपुरा के ग्राम महराजपुरा पंचायत है। शिवासिंहपुरा तहसील लालसोट (जिला दौसा) में स्थित है। अपील नं० 113 दिनांक 17/3/1978 के अधीन के नाम -3 ला० 5 के नाम एबी हत फारमापा गजा लोकिन अपील नं० ग्राम पंचायत शिवासिंहपुरा के तात्कालिक संपन्न महीरुप द्वारा अपील नं० के वास्तविक रिक्विड फलावेजात में अंश नं० पाचुराम धर सोन्या के स्थान पर रामेश्वर धर सोन्या नाम दर्ज कर नामांतरण तहसील कर दिया जो सरा सर गजत तहसील फारमापा गजा है जिसमें अपील होकर अपील मुद्द का फारमापा पर प्रस्तुत भी है। परन्तु शिवासिंहपुरा ग्राम पंचायत द्वारा एव सोन्या भी महराजपुरा का नामांतरण एबी हत करते समय गजती से अपील नं० के वास्तविक नाम पाचुराम धर सोन्या भी नाम के स्थान पर रामेश्वर धर सोन्या भी नाम का नामांतरण फारमापा के इजाज कर दिया इसीलिए इसको उक्त कवाचों का अपील नं० फारमापा नं० अपील नं० है। सरा सर विधि मध्ये एंज प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्त है। अपील नं० की दोराने नवल प्राप्त करने हेतु 20/11/18 को पंचायती एका से से - सी - की हेतु</p>	

  
 उपजिल्हा अधिकारी  
 लालसोट जिला दौसा (राज०)

**उपखण्ड अधिकारी**  
नालसोद जिला दोसा (राज०)

पांचु राम बराम ग्राम पंचायत शिवसिंहपुरा

15119 अपील नामांकन

जमाबंदी का ही जो फल मिला कि रिकार्ड में अपने नाम का गलत अंकन हो रहा है। इसी कारण निराप मुजाबरात पैदा होकर अपीलकर्ता को अपने हकमों की रक्षा के लिये वे गलत अंकन संशोधन पत्र लौटाने के लिये पत्र लही अंकन पांच राम उम्र सेना काजने हेतु अपील ब्यामालय के समक्ष प्रस्तुत करना लगीम उत्तरा है।


हमने प्रकरण क्रम संख्या 17/5/13 को ध्यान में रखकर जांच रिपोर्ट मारिस्ता ली जाकर तलमनी सेपो जाती की गई जिस पर सेपो संख्या 1/17/13 के अंशालतन नामीले प्रथम ईडि। जो शक्तिप शिवाल का अपील नामांकन अंतिम अंकन पर ली गई जिस 17/5/13 को सेपो संख्या 7 की ओर से इक बराली पा जाकर प्रस्तुत किया जा 0 मितल किया गया प्रकरण में बहस सुनी गई। पणबली के लिये प्रस्तावित इक बराली पा जाकर सेपो संख्या 1/17/13 के अंशालतन नामीले प्रथम ईडि। जो शक्तिप शिवाल का अपील नामांकन अंतिम अंकन पर ली गई जिस 17/5/13 को सेपो संख्या 7 की ओर से इक बराली पा जाकर प्रस्तुत किया जा 0 मितल किया गया प्रकरण में बहस सुनी गई। पणबली के लिये प्रस्तावित इक बराली पा जाकर सेपो संख्या 1/17/13 के अंशालतन नामीले प्रथम ईडि। जो शक्तिप शिवाल का अपील नामांकन अंतिम अंकन पर ली गई जिस 17/5/13 को सेपो संख्या 7 की ओर से इक बराली पा जाकर प्रस्तुत किया जा 0 मितल किया गया प्रकरण में बहस सुनी गई।

अतः अपील अपीलकर्ता को अंकन में एकीकरण की जा रही है। तदुपरान्त एकापत्र को अंशालतन किया जाता है कि गण पत्रापर शिवसिंहपुरा द्वारा तदुपरान्त नामांकन रा 290113 दिनांक 17/3/17 पर निरापत किया जाता है। नामांकन इस आणप से किया गया जिसका अंकन सेना प्रव. शक्तिप शिवाल के वासिना की निमित्त रूप से जांच कर निरापत आ 0 मितल किया गया प्रकरण में बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी  
नालसोद जिला दोसा (राज०)

# न्यायालय उपजिला कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

<p>तारीख हुक्म</p>	<p style="text-align: center;">प्रतिपक्ष - बगम गा० पंचायत (मिालापुरा) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 17/11/89 'उत्पत्तीस नामांतर कब्र'</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>151, 153, 154, 155, 156 कुल कित्ता - 5 कम्पा. 13-1500 हेक्टर भूमि वाले ग्राम महापणपुरा तहसील लालसोट वाली भूमि का उक्त नामांतर कब्र तत्परीक की। तहसीलदार लालसोट को इस कब्र की तहरीर जारी हो। फलपत्ती का फलपत्ती होकर दाखिल कम्प्लेट हो। निर्णय सुनाना गया।</p> <p style="text-align: right;">               उपरज्जण्ड अधिकारी              लालसोट जिला दौसा राज्.         </p>		